न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—51 / 2020 (2020 / 00145) वाद पत्र

उनवान

1—बद्री पिता काना गुर्जर निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—पारस पिता रामलाल गुर्जर निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—हीरा पिता मांगु गुर्जर निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4—लादु पिता मांगु गुर्जर निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5—भैरू पिता सुखलाल गुर्जर निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1—चन्द्री पुत्री गोमा पत्नि उदा गुर्जर निवासी रामा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—सायरी पुत्री गोमा पत्नि दीपा गुर्जर निवासी रामा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—चान्दी पत्नि जैराम गुर्जर निवासी रामा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4—प्यारी पुत्री जैराम गुर्जर निवासी रामा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5—सन्तु पुत्री जैराम गुर्जर निवासी थोरियाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6—लाडु पुत्री जैराम पत्नि राजु गुर्जर निवासी रामा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7—लच्छु पिता बगतावर गुर्जर निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8—गोपी पिता बगतावर गुर्जर निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9—हीरा पिता छोगा गुर्जर निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10—गेहरी बेवा छोगा गुर्जर निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11—मोहन पिता रायमल गुर्जर निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
12—सोहन पिता रायमल गुर्जर निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
13—श्रीमान् तहसीलदार एवं उपपंजीयक महोदय रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 89, 92क, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. जाकिर हुसैन — अधिवक्ता वादीगण
2. फारूख मोहम्मद — अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक 08.07.2021

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य होकर उनके मूल पुरूष हांसा थे तथा उनके 5 पुत्र हुए तथा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 12 पांचो भाईयो के वारीसान है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण की मौरूषी कृषि आराजियात ग्राम कोट में साबिक खाता संख्या 171 में अकिंत साबिक आराजी संख्या 456 / 2 रकबा 7 बिस्वा, आराजी संख्या 457 रकबा 7 बिस्वा, आराजी संख्या 458 रकबा 4 बिस्वा, आराजी संख्या 459 / 2 रकबा 2 बीघा, आराजी 461 / 2ख रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा, आराजी संख्या 1121 रकबा 5 बिस्वा, आराजी संख्या 1125 रकबा 19 बिस्वा, आराजी संख्या 1126 रकबा 10 बिस्वा, आराजी [illegible] 1128 रकबा 13 बिस्वा कुल किता 9 कुल रकबा 9 बीघा 9 बिस्वा भूमि [illegible] है [illegible] आराजी संख्या 456 / 2, 457, 458, 459 / 2, 461 / 2ख भूमियां पांचो [illegible] बगतावर, रायमल, हजारी, काना ने संयुक्त रूप

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.07.21 14:04:59 IST
Reason: SelfAttested

से गोमा पिता नोला से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया जिसमें पांचो भाईयो का बराबर हिस्सा होकर संयुक्त रूप से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। इसी प्रकार ग्राम कोट की साबिक आराजियात जो साबिक खाता संख्या 173 में अकिंत साबिक आराजी संख्या 456/1 रकबा 7 बिस्वा, आराजी संख्या 459/1 रकबा 16 बिस्वा, आराजी संख्या 461/1 रकबा 2 बिस्वा, आराजी संख्या 461/2ख रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा भूमि स्थित है। पांचो भाईयो ने संयुक्त रूप से बालु पिता गोमा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से दिनांक 30.05.1960 को क्रय कर कब्जा प्राप्त किया तब से उक्त भूमि पर पांचो भाईयो काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है परंतु सभी भाई शामिल रहने से एवं आपस में विश्वास होने से उक्त भूमि की रजिस्ट्री दो भाई गोमा व रायमल के नाम पर ही करवाई गई परंतु मौके पर पांचो भाई अपने अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे थे तथा उसके बाद वादीगण व प्रतिवादीगण अपने अपने 1/5—1/5 हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहै है। उक्त साबिक कृषि आराजियात में वादी संख्या 1 का 1/5 हिस्सा, वादी संख्या 2 से 5 का संयुक्त रूप से 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 से 8 का 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 9 से 12 का 1/5 हिस्सा तथा इसी हिस्से अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे जिसे करीब 60 वर्ष हो चुके है। वादीगण के 1/5—1/5 हिस्से के बजाय संवत 2043 से 2046 की जमाबंदी में वादीगण के हिस्से में कांट छांट कर वादीगण का 1/8—1/8 हिस्सा अकिंत कर दिया जबकि अपने 1/5 हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। ग्राम कोट का भू प्रबन्ध होने से वादपत्र की कलम संख्या 3 में अकिंत वादीगण की साबिक कृषि आराजियात के नवीन नम्बर कायम किये गये जो निम्न है ग्राम कोट के खाता संख्या 77 में अकिंत आराजी संख्या 1059 रकबा 0.06 है0, आराजी संख्या 1060 रकबा 0.02 है0, आराजी संख्या 1061 रकबा 0.08 है0, आराजी संख्या 1063 रकबा 0.08 है0, आराजी संख्या 1064 रकबा 0.21 है0, आराजी संख्या 1065 रकबा 0.22 है0, आराजी संख्या 1074 रकबा 0.04 है0, आराजी संख्या 1075 रकबा 0.29 है0, आराजी संख्या 2576 रकबा 0.05 है0, आराजी संख्या 2581 रकबा 0.10 है0, आराजी संख्या 2582 रकबा 0.10 है0, आराजी संख्या 2583 रकबा 0.11 है0, आराजी संख्या 2585 रकबा 0.14 है0 कुल किता 13 कुल रकबा 2.04 है0 व इसी तरह खाता संख्या 78 में आराजी संख्या 1062 रकबा 0.08 है0, आराजी संख्या 1066 रकबा 0.17 है0, आराजी संख्या 1067 रकबा 0.27 है0, आराजी संख्या 1069 रकबा 0.03 है0, आराजी संख्या 1070 रकबा 0.04 है0, आराजी संख्या 1071 रकबा 0.02 है0, आराजी संख्या 1072 रकबा 0.07 है0, आराजी संख्या 1073 रकबा 0.36 है0 कुल किता 8 कुल रकबा 1.04 है0 कायम किये गये प्रमाण में नकल जमाबन्दी एवं मिलान क्षैत्रफल की नकले पेश की है। वादग्रस्त भूमि में हजारी के वारीसान जसु, नारायणी, देउ, बदामी व मानी द्वारा अपना हिस्सा त्याग देने तथा मांगी, भवंरी, लादी एवं मीठुड़ी कंकु व चान्दी द्वारा अपना हिस्सा त्याग देने से प्रकरण में पक्षकार नही बनाया गया है। अतः वादीगण की सादर प्रार्थना है कि वादीगण का वादपत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्व इस आशय की घोषणात्मक डिक्री जारी फरमाई जाए कि ग्राम कोट के खाता संख्या 77 में अकिंत कुल किता 13 कुल रकबा 2.04 है0 तथा खाता संख्या 78 में अकिंत कुल किता 8 कुल रकबा 1.04 है0 कृषि आराजियात में वादी संख्या 1 का 1/5 हिस्सा, वादी संख्या 2 से 5 का 1/5 हिस्सा है तदनुसार राजस्व रेकार्ड में खाता संख्या 77 व 78 में वादी संख्या 1 का 1/5 हिस्सा व

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.07.21 14:04:59 IST
Reason: SelfAttested

वादी संख्या 2 से 5 का 1/5 हिस्सा दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान फरमाए जाए। साथ ही वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्व इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री जारी फरमाई जाए कि उक्त वर्णित आराजियात में वादी संख्या 1 का 1/5 हिस्सा व वादी संख्या 2 से 5 का 1/5 हिस्सा है वादीगण के उक्त हिस्से के उपयोग उपभोग व काश्त करने में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की बाधा न तो स्वयं करे, न किसी अन्य से करावे व वादग्रस्त भूमि को रहन बय बक्षीस व किसी भी तरह से अतंरित नही करे प्रतिवादी संख्या 13 राजस्व रेकार्ड में किसी प्रकार का परिवर्तन नही करे तथा प्रतिवादी संख्या 13 के यंहा उक्त भूमि के अंतरण बाबत् किसी प्रकार का दस्तावेज प्रस्तुत होने पर उसका पंजीयन नही करे।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को समन जारी किये गये। समन की पालना मे प्रतिवादी संख्या 1, 3, 4, 12 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया तथा विपक्षी संख्या 2, 5 लगायत 11 द्वारा जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया एंव प्रतिवादी संख्या 13 फौरमल पक्षकार होने से कोई राहत नही चाही है। प्रतिवादी संख्या 2, 5 लगायत 11 के द्वारा अपने जवाब में अकंन किया कि वादपत्र की समस्त कॉलम स्वीकार करते हुए वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 12 एक ही परिवार के सदस्य होकर हिन्दु विधि से शरश्रित होते है हमारे परिवार में मूल पुरूष हंसा जी थे जिनके पांच पुत्र गोमा, बगतावर, रायमल, हजारी, काना होना स्वीकार करते हुए वादवर्णित साबिक खाता संख्या 171 एवं 173 में आरायिजात पांचो भाईयो के शामलाती होकर पांचो भाई अपने हक हिस्से पर काबिज होना स्वीकार किया इसी प्रकार वाद के अन्य कलमो को भी स्वीकार करते हुए वादीगण के वाद को सही मानते हुए वादवर्णित भूमियों में प्रत्येक हिस्सेदार जिनका अंकन वादपत्र की कलम संख्या 1 में अकिंत सजरे में किया गया है जो सही है। वादपत्र की कलम पांच में अकिंत हिस्सा अनुसार वादपत्र डिक्री किया जाना आवश्यक है वादी एवं प्रतिवादीगण 1/5—1/5 हिस्से के खातेदार काश्तकार घोषित होने के अधिकारी होना अकिंत किया।

वाद पत्र के समर्थन में वादी अधिवक्ता द्वारा, वादीगण के बयान कराये गये जो पीडब्ल्युडी 1 है एवं वाद के समर्थन में रेकार्ड प्रदर्शित कराया जो प्रदर्श 1 से 9 तक है। और अन्त में वादी अधिवक्ता द्वारा बहस में वाद पत्र को स्वीकार करने का निवेदन किया गया।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड और वादीगण के वाद पत्र का अध्ययन करने से पाया कि वाद के कॉलम 3 में वर्णित भूमि किता 9 रकबा 9 बीघा 9 बिस्वा भूमि जमाबन्दी 2051 से 2054 में खाता संख्या 78 एवं खाता संख्या 80 पर अकिंत आराजी कुल किता 4 कुल रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा भूमि गोमा व रायमल के वारीसान के नाम दर्ज रेकार्ड है जो विपक्षी की क्रयशुदा भूमि है विपक्षी के पूर्वजो द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय की है लेकिन मौके पर वादीगण व प्रतिवादीगणो का संयुक्त रूप से 1/5—1/5 हिस्सा अकिंत किया है और उसी अनुसार काबिज होकर काश्त करना बताया गया है विपक्षीगण द्वारा स्वयं वादपत्र के कॉलम संख्या 3 में वर्णित तथ्यो को स्वीकार किया अर्थात भूमि पांचो भाईयो द्वारा संयुक्त रूप [illegible] रजिस्ट्री गोमा व रायमल पिता हांसा के नाम करवाई गई है। वादवर्णित भूमि प[illegible] की होने से उनके विधिक वारीसान के नाम पर दर्ज किया जाने में कोई आपत्ति नही [illegible] इकबाली जवाब दिया गया। वाद के कॉलम 3 में वर्णित साबिक आराजियात के नवीन [illegible] के दौरान नवीन खसरा नम्बर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.07.21 14:04:59 IST
Reason: SelfAttested

बनाये गये वादपत्र की कॉलम 5 में अकिंत है। ऐसी स्थिति में वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाना न्याय हित में उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम कोट पटवार हल्का कोट तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में खाता संख्या 77 में अकिंत आराजी संख्या 1059 रकबा 0.06 है0, आराजी संख्या 1060 रकबा 0.02 है0, आराजी संख्या 1061 रकबा 0.08 है0, आराजी संख्या 1063 रकबा 0.08 है0, आराजी संख्या 1064 रकबा 0.21 है0, आराजी संख्या 1065 रकबा 0.22 है0, आराजी संख्या 1074 रकबा 0.04 है0, आराजी संख्या 1075 रकबा 0.29 है0, आराजी संख्या 2576 रकबा 0.05 है0, आराजी संख्या 2581 रकबा 0.10 है0, आराजी संख्या 2582 रकबा 0.10 है0, आराजी संख्या 2583 रकबा 0.11 है0, आराजी संख्या 2585 रकबा 0.14 है0 कुल किता 13 कुल रकबा 2.04 है0 व इसी तरह खाता संख्या 78 में आराजी संख्या 1062 रकबा 0.08 है0, आराजी संख्या 1066 रकबा 0.17 है0, आराजी संख्या 1067 रकबा 0.27 है0, आराजी संख्या 1069 रकबा 0.03 है0, आराजी संख्या 1070 रकबा 0.04 है0, आराजी संख्या 1071 रकबा 0.02 है0, आराजी संख्या 1072 रकबा 0.07 है0, आराजी संख्या 1073 रकबा 0.36 है0 कुल किता 8 कुल रकबा 1.04 है0 भूमि में वादी संख्या 1 का 1/5 हिस्सा, वादी संख्या 2 से 5 का संयुक्त रूप से 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का संयुक्त रूप से 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 से 8 का संयुक्त रूप से 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 9 से 12 का संयुक्त रूप से 1/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार अन्तिम डिक्री जारी हो। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को हुक्मनामा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 08.07.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

08.07.2021
सुन्दरलाल बम्बोडा
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रायपुर (भीलवाड़ा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.07.21 14:04:59 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः–श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–51/2020 (2020/00145) वाद पत्र

उनवान

1–बद्री पिता काना गुर्जर निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2–पारस पिता रामलाल गुर्जर निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3–हीरा पिता मांगु गुर्जर निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4–लादु पिता मांगु गुर्जर निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5–भैरू पिता सुखलाल गुर्जर निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1–चन्द्री पुत्री गोमा पत्नि उदा गुर्जर निवासी रामा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2–सायरी पुत्री गोमा पत्नि दीपा गुर्जर निवासी रामा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3–चान्दी पत्नि जैराम गुर्जर निवासी रामा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4–प्यारी पुत्री जैराम गुर्जर निवासी रामा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5–सन्तु पुत्री जैराम गुर्जर निवासी थोरियाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6–लाडु पुत्री जैराम पत्नि राजु गुर्जर निवासी रामा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7–लच्छु पिता बगतावर गुर्जर निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8–गोपी पिता बगतावर गुर्जर निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9–हीरा पिता छोगा गुर्जर निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10–गेहरी बेवा छोगा गुर्जर निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11–मोहन पिता रायमल गुर्जर निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
12–सोहन पिता रायमल गुर्जर निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
13–श्रीमान् तहसीलदार एवं उपपंजीयक महोदय रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 89, 92क, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम कोट पटवार हल्का कोट तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में खाता संख्या 77 में अकिंत आराजी संख्या 1059 रकबा 0.06 है0, आराजी संख्या 1060 रकबा 0.02 है0, आराजी संख्या 1061 रकबा 0.08 है0, आराजी संख्या 1063 रकबा 0.08 है0, आराजी संख्या 1064 रकबा 0.21 है0, आराजी संख्या 1065 रकबा 0.22 है0, आराजी संख्या 1074 रकबा 0.04 है0, आराजी संख्या 1075 रकबा 0. 29 है0, आराजी संख्या 2576 रकबा 0.05 है0, आराजी संख्या 2581 रकबा 0.10 है0, आराजी संख्या 2582 रकबा 0.10 है0, आराजी संख्या 2583 रकबा 0.11 है0, आराजी संख्या 2585 रकबा 0.14 है0 कुल किता 13 कुल रकबा 2.04 है0 व इसी तरह खाता संख्या 78 में आराजी संख्या 1062 रकबा 0.08 है0, आराजी संख्या 1066 रकबा 0.17 है0, आराजी संख्या 1067 रकबा 0.27 है0, आराजी संख्या 1069 रकबा 0.03 है0, आराजी संख्या 1070 रकबा 0.04 है0, आराजी संख्या 1071 रकबा 0.02 है0, आराजी संख्या 1072 रकबा 0.07 है0, आराजी संख्या 1073 रकबा 0.36 है0 कुल किता 8 कुल रकबा 1.04 है0 भूमि में वादी संख्या 1 का 1/5 हिस्सा, वादी संख्या 2 से 5 का संयुक्त रूप से 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का संयुक्त रूप से 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 से 8 का संयुक्त रूप से 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 9 से 12 का संयुक्त रूप से 1/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार अन्तिम डिक्री जारी हो। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को आदेश की प्रति के साथ लिखा जावे।

वाद में डिक्री आज दिनांक 08.07.2021 को न्यायालय मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.07.21 14:04:59 IST
Reason: SelfAttested

08.07.2021
(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा